



मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाइट : www.vyapam.nic.in

मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 के सीधी भर्ती, सीधी भर्ती-बैकलॉग व संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा - 2013

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	06.07.2013
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	04.08.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	05.08.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि	14.08.2013
परीक्षा दिनांक व दिन	08.09.2013 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	सीधी भर्ती एवं संविदा भर्ती के पदों हेतु अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए- 500/- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के लिए- 250/-
	सिर्फ सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु कोई शुल्क नहीं।
ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 50/- देय होगा।	
मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	कोई शुल्क नहीं।

समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियों भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तर भरने का समय
08.09.2013 (रविवार)	प्रातः 11:00 बजे से	प्रातः 11:00 बजे से	प्रातः 11:00 से 11:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 11:10 बजे	प्रातः 11:10 से 11:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 11:15 से 01:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये हॉर्डकॉपी में आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप (नियम पुस्तिका के प्रारूप-3) में प्रत्येक विभाग के पदों हेतु अध्याय-5 में उल्लेखित पत्र व्यवहार के पते पर पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रेषित करना होगा।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
3. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
4. परीक्षा कक्ष में सेल्युलर, मोबाईल फोन, केलकूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
5. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
6. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र (इनमे से कोई एक-कक्षा 10 वी की फोटोयुक्त अंकसूची/आधार कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र/झाईविंग लायसंस/पेन कार्ड/पासपोर्ट/फोटोयुक्त बैंक पासबुक/विद्यालय या शासकीय संस्था का फोटोयुक्त पहचान-पत्र) लेकर आना अनिवार्य होगा (जिसकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं आवेदक का होगा), जिसके अभाव में आवेदक को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 के
सीधी भर्ती, सीधी भर्ती-बैकलॉग व संविदा के रिक्त
पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा – 2013

विषय-सूची

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	पदों की संक्षेपिका एवं विभागवार विवरण	3-4
2.	अध्याय-1 – विभागों से प्राप्त प्रस्ताव पत्र एवं शासनादेश का विवरण तथा विभागवार रिक्त पदों की संख्या व आरक्षण तालिका की जानकारी	5-21
3.	अध्याय-2 – विभागीय चयन नियम	22-29
4.	अध्याय-3 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	30-37
5.	अध्याय-4 – लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम	38
6.	अध्याय-5 – सहायक ग्रेड-3 के विभागवार पत्र व्यवहार की सूची	39-40
7.	प्रारूप-1 – प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	41
8.	प्रारूप-2 – आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	42
9.	प्रारूप-3 – मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	43
10.	एकीकृत सहमति प्रमाण-पत्र की सूची	44-53

सहायक ग्रेड-3 के विभागवार उपलब्ध समस्त रिक्त पदों की संक्षेपिका

स.क्रं.	पदों का विवरण	अना0	अजा	अजजा	अपिव	योग
1.	सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के पद	137	35	59	35	266
2.	सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के पद	11	172	273	33	489
3.	सहायक ग्रेड-3 संविदा के पद	109	35	44	30	218
महायोग :-		257	242	376	98	973

सहायक ग्रेड-3 के सीधी भर्ती के विभागवार रिक्त पदों का विवरण

स.क.	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त है	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या				
		अना. (UR)	अजा (SC)	अजजा (ST)	अपिव (OBC)	कुल
भर्ती का प्रकार- सीधी भर्ती						
1	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल	60	17	26	17	120
2	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल	02	01	01	01	05
3	संचालनालय, आयुष, म0प्र0 भोपाल	06	02	03	02	13
4	संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, म0प्र0, भोपाल	02	01	04	00	07
5	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल	01	00	00	00	01
6	आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश, भोपाल	21	01	02	00	24
7	उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश (रोजगार प्रभाग), विध्याचल भवन, भोपाल	03	01	01	01	06
8	कार्यालय कलेक्टर-नीमच	14	04	03	04	25
9	विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल	02	00	01	1	04
10	मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता), सा.प्र.वि., भोपाल	00	00	01	00	01
11	आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबन्धकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल	00	00	02	01	03
12	कार्यालय, म.प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल	00	00	01	00	01
13	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर	18	02	00	02	22
14	कार्यालय कलेक्टर-इन्दौर	00	01	04	01	06
15	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	03	00	01	01	05
16	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल	02	04	04	04	14
17	कार्यालय कलेक्टर-उमरिया	03	01	05	00	09
योग:-		137	35	59	35	266

सहायक ग्रेड-3 के सीधी भर्ती-बैकलॉग के विभागवार रिक्त पदों का विवरण

स. क.	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त है	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या				
		अना. (UR)	अजा (SC)	अजजा (ST)	अपिव (OBC)	कुल
भर्ती का प्रकार- सीधी भर्ती बैकलाग						
18	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल	00	01	03	00	04
19	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल	00	03	05	01	09
20	संचालनालय, आयुष, म0प्र0 भोपाल	00	00	03	00	03
21	संचालनालय खेल और युवा कल्याण म.प्र. भोपाल	03	04	01	01	09
22	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल	00	08	10	04	22
23	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल	00	18	33	00	51
24	कार्यालय कलेक्टर-शाजापुर	00	13	00	01	14
25	कार्यालय कलेक्टर-झाबुआ	00	00	10	00	10
26	कार्यालय कलेक्टर-मुरैना	00	07	00	00	07
27	कार्यालय कलेक्टर-गुना	00	04	07	00	11
28	कार्यालय कलेक्टर-अलीराजपुर	00	00	10	00	10
29	कार्यालय कलेक्टर-मंदसौर	00	00	01	00	01
30	कार्यालय कलेक्टर- होशंगाबाद	00	02	06	00	08
31	विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश राजाभोज अंतराष्ट्रीय विमानतल, भोपाल	00	00	02	00	02
32	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल	00	01	00	00	01
33	संचालनालय राष्ट्रीय कैडेट कोर (राज्य कोष्ठ), भोपाल	00	14	18	10	42
34	औद्योगिक न्यायालय, इंदौर	00	01	04	05	10
35	आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. भोपाल	00	01	02	02	05
36	संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, म.प्र. भोपाल	07	06	05	02	20
37	कार्यालय हाथ करघा संचालनालय, म.प्र. भोपाल	01	00	01	01	03
38	लोकशिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल	00	46	65	00	111
39	सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल	00	03	16	02	21
40	संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, म0प्र0 इंदौर	00	00	04	03	07
41	कार्यालय नगर पालिक निगम, रीवा	00	03	05	00	08
42	कार्यालय, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा	00	02	01	00	03
43	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल	00	02	03	00	05
44	कार्यालय नगर पालिक निगम, सतना	00	01	02	00	03
45	कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर	00	08	10	00	18
46	मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कृषकृषि विकास निगम, भोपाल	00	00	02	00	02
47	संचालनालय, पशुपालन, भोपाल	00	00	14	00	14
48	संचालनालय, कौशल विकास, जबलपुर	00	00	02	00	02
49	जेल मुख्यालय, भोपाल	00	01	01	01	03
50	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.II), भोपाल	00	23	27	00	50
कुल		11	172	273	33	489

सहायक ग्रेड-3 के संविदा के विभागवार रिक्त पदों का विवरण

स. क.	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त है	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या				
		अना. (UR)	अजा (SC)	अजजा (ST)	अपिव (OBC)	कुल
भर्ती का प्रकार- संविदा						
51	संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल	50	16	20	14	100
52	संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा	59	19	24	16	118
कुल		109	35	44	30	218

अध्याय-1

विभागों से प्राप्त प्रस्ताव पत्र एवं शासनादेश का विवरण तथा
विभागवार रिक्त पदों की संख्या व आरक्षण तालिका की जानकारी

1.1 महत्वपूर्ण :

इस संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे सभी आवेदकों पर नियमपुस्तिका में दिए गए सभी नियम, शर्तें व जानकारी लागू होंगे तथा सभी आवेदकों को इनका सूक्ष्म अध्ययन कर पालन करना होगा। संयुक्त परीक्षा में सम्मिलित विभागों/कार्यालयों, उनके अंतर्गत रिक्त श्रेणीवार/संवर्गवार पदों की जानकारी नीचे उल्लेखित है। विभिन्न विभागों/कार्यालयों के रिक्त पदों को घटाने, बढ़ाने अथवा परिवर्तन करने का अधिकार संबंधित विभाग/कार्यालयों को होगा तथा किया गया परिवर्तन आवेदकों को मान्य होगा।

1.2 कार्यालय/विभागवार पदों से संबंधित विवरण

(1) – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल

सामान्य :-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल के पत्र क्रमांक 5021/22/वि-3/ग्रा.यां.से/11 दिनांक 23.06.2012 तथा पत्र क्रमांक 6524/22/वि-3/ग्रा.यां.से/12 दिनांक 16.08.2012 के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 120 एवं सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 04 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्र.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	32	17	04 (02 पद श्रवणबाधित) (02 पद अस्थिबाधित)	01 (अस्थि बाधित)	06	00	60
2.	अनुसूचित जाति (SC)	08	04	02 (01 पद श्रवणबाधित) (01 पद अस्थिबाधित)	01 (श्रवणबाधित)	02	00	17
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	15	08	01 (अस्थिबाधित)	00	02	00	26
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC)	10	05	00	00	02	00	17
योग :-		65	34	07	02	12	00	120

सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्र.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	01 (अस्थिबाधित)	00	01
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	00	00	03
योग :-		02	01	01	00	04

(2) – संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0, भोपाल

सामान्य :-

कार्यालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म०प्र०, भोपाल के पत्र क्रमांक/7772/स्था./1/न. क्र./202/2002 दिनांक 24.04.2013 के अनुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म०प्र०, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 05 एवं सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 09 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	00	01	01 (अस्थिबाधित)	00	02
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01
योग :-		03	01	01	00	05

सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	01 (श्रवणबाधित)	00	03
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	01	00	00	05
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01
योग :-		06	02	01	00	09

(03) – संचालनालय, आयुष, म०प्र० भोपाल

सामान्य :-

संचालनालय, आयुष, म०प्र० भोपाल के पत्र क्रमांक/2/आयु.स्था./2013/1727 दिनांक 04.06.2013 के अनुसार संचालनालय, आयुष, म०प्र० भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 13 एवं सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 03 पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	04	02	06
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	00	02
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	03
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	00	02
योग :-		10	03	13

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	03
योग :-		02	01	03

(04) – संचालनालय खेल और युवा कल्याण, म०प्र०, भोपाल

सामान्य :-

संचालनालय, खेल और युवा कल्याण, म0प्र0, भोपाल के पत्र क्रमांक/1935/खेयुक/2013/स्था. दिनांक 31.05.2013 के अनुसार संचालनालय, खेल और युवा कल्याण, म0प्र0, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 07 एवं सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 09 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	02	00	02
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	01
3	अनु. जनजाति (ST)	04	00	04
योग :-		07	00	07

सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	02 (01 पद अस्थि बाधित) (01 पद श्रवणबाधित)	01 (श्रवणबाधित)	03
2.	अनु. जाति (SC)	02	00	01 (अस्थिबाधित)	01 (दृष्टिबाधित)	04
3	अनु. जनजाति (ST)	00	00	01 (श्रवणबाधित)	00	01
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	01 (दृष्टिबाधित)	00	01
योग :-		02	00	05	02	09

(05) – संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल

सामान्य :-

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/2832/स्था./नग्रानि/2013 दिनांक 03.06.2013 तथा के पत्र क्रमांक/2834/स्था.-1/तक/2013 दि. 03.06.2013 के अनुसार संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 01 एवं सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 22 पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	01 (श्रवणबाधित)	00	01
योग :-		01	00	01

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	04	02	01 (अस्थिबाधित)	00	01	00	08
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	03	01 (अस्थिबाधित)	00	02	00	10
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	02	00	00	00	00	04
योग :-		10	07	02	00	03	00	22

(6) – कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास, भोपाल
(म.प्र. ट्रायवल वेलफेयर रेसिडिसियल एण्ड आक्षम एजूकेशनल सोसायटी म.प्र.)

सामान्य :-

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास, भोपाल के पत्र क्रमांक/ईएमआरएस/29/2012/126 दिनांक 13.03.2012 के अनुसार आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश, भोपाल में (ई.एम.आर.एस. विद्यालयों हेतु) के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 24 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	14	07	21
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	01
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	02
योग :-		16	08	24

(7) – उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश (रोजगार प्रभाग), विंध्याचल भवन, भोपाल

सामान्य :-

उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश (रोजगार प्रभाग), विंध्याचल भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक उस/रो. प्र./12/स्था./नि:जन/3386 दिनांक 04.06.2013 के अनुसार उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश (रोजगार प्रभाग), विंध्याचल भवन, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 06 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	03 (02 पद श्रवणबाधित) (01 पद दृष्टिबाधित)	00	03
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01 (दृष्टिबाधित)	00	01
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	01 (दृष्टिबाधित)	00	01
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01 (श्रवणबाधित)	00	01
योग :-		06	00	06

(8) – कार्यालय कलेक्टर-नीमच

सामान्य :-

कार्यालय कलेक्टर-नीमच के पत्र क्रमांक/वित्त-1/स्थापना/830 दिनांक 27.06.2012 के अनुसार कार्यालय कलेक्टर-नीमच के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 25 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	03	07	01 (दृष्टिबाधित)	00	03	00	14
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	01 (दृष्टिबाधित)	00	01	00	04
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	01 (दृष्टिबाधित)	00	00	00	03
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC)	01	02	00	00	01	00	04
योग :-		06	11	03	00	05	00	25

(9) – विधि और विधायी कार्य विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल

सामान्य :-

म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 5008/21/अ-(स्था.) दिनांक 11.07.2012 के अनुसार म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 03 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	01 (दृष्टिबाधित)	00	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01
योग :-		03	00	01	00	04

(10) – मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता), भोपाल

सामान्य :-

कार्यालय मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) म0प्र0, भोपाल के पत्र क्रमांक/4410/मु.त.प(स)/स्था./2012 दिनांक 16.08.2012 तथा पत्र क्रमांक/994/मु.त.प(स)/स्था./2013 दि. 28.02.2013 के अनुसार कार्यालय मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) म0प्र0, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 01 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :-

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	01
योग :-		01	00	01

(11) – आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबन्धकीय अकादमी, म.प्र., भोपाल

सामान्य :-

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबन्धकीय अकादमी, म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक/4597/अका./स्था./1-128-ए/2012 दिनांक 07.06.2012 तथा पत्र क्रमांक/6478/अका./स्था./1-128-ए/2012 दिनांक 21.08.2012 के अनुसार आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबन्धकीय अकादमी, म.प्र., भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 (डेस्क सहायक) सीधी भर्ती के कुल 03 पद की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :-

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	00	02
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	01
योग :-		03	00	03

(12) – कार्यालय म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

सामान्य :-

कार्यालय कार्यालय म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था-1/31 ए/2012 दिनांक 31.10.2012 के अनुसार कार्यालय म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 01 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	01
योग :-		01	00	01

(13) – म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर

सामान्य :-

म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 10154/19/2011/स्था. दिनांक 12.12.2012 तथा पत्र क्रमांक 10252/19/2011/स्था. दिनांक 14.12.2012 के अनुसार म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 22 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	09	06	01 (अस्थिबाधित)	00	02	00	18
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	00	02
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	00	02
योग :-		11	06	01	00	04	00	22

(14) – कार्यालय कलेक्टर-इन्दौर

सामान्य :-

कार्यालय कलेक्टर-इन्दौर के पत्र क्रमांक/953/स्थापना/2/2013 दिनांक 27.05.2013 के अनुसार कार्यालय कलेक्टर-इन्दौर के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 06 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	01 (श्रवणबाधित)	00	01
2.	अनु. जनजाति (ST)	03	00	00	01 (श्रवणबाधित)	04
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	01 (अस्थिबाधित)	01
योग :-		03	00	01	02	06

(15) – म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल

सामान्य :-

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक उक्र. 1779/एफ-121(ए)/स्था/प्रशा/पविनि/11 दिनांक 08.02.2011 के अनुसार म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 05 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	02 (01 पद श्रवणबाधित) (01 पद अस्थिबाधित)	01 (श्रवणबाधित)	03
2.	अनु. जनजाति (ST)	01	00	00	00	01
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01
योग :-		02	00	02	01	05

(16) – संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल

सामान्य :-

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल के पत्र क्रमांक/6765/2013 दिनांक 05.06.2013 के अनुसार संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 14 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	02
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	04
3.	अनु. जनजाति (ST)	03	01	04
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	04
योग :-		10	04	14

(17) – कार्यालय, कलेक्टर, उमरिया

सामान्य :-

कार्यालय, कलेक्टर, उमरिया के पत्र क्रमांक/255/3-1/स्था./2013/ दिनांक 08.05.2013 के अनुसार कार्यालय, कलेक्टर, उमरिया के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 09 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	02	00	01 (श्रवणबाधित)	00	03
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	01 (दृष्टिबाधित)	00	01
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	01 (अस्थिबाधित)	00	05
योग :-		05	01	03	00	09

(18) – माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल

सामान्य :-

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल के पत्र क्रमांक/स्थापना/ए-2/393 दिनांक 03.05.2013 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 51 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	11	05	01 (अस्थिबाधित)	01 (दृष्टिबाधित)	18
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	21	10	01 (श्रवणबाधित)	01 (अस्थिबाधित)	33
योग :-		32	15	02	02	51

(19) – कार्यालय कलेक्टर-शाजापुर

सामान्य :-

कार्यालय कलेक्टर-शाजापुर के पत्र क्रमांक/स्था.चार-एक/2012/618-19 दिनांक 10.07.2012 के अनुसार कार्यालय कलेक्टर-शाजापुर के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 14 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	06	05	02 (02 पद अस्थिबाधित)	00	13
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01
योग :-		07	05	02	00	14

(20) – कार्यालय कलेक्टर-झाबुआ

सामान्य :-

कार्यालय कलेक्टर-झाबुआ के पत्र क्रमांक/3911/स्थापना/2012 दिनांक 30.05.2012 के अनुसार कार्यालय कलेक्टर-झाबुआ के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 10 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनु. जनजाति (ST)	05	04	01 (श्रवणबाधित)	00	10
योग :-		05	04	01	00	10

(21) - कार्यालय कलेक्टर-मुरैना

सामान्य :-

कार्यालय कलेक्टर-मुरैना के पत्र क्रमांक/स्था-1/6-2/69/2010/2012/4480 दि. 16.05.12 के अनुसार कार्यालय कलेक्टर-मुरैना के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 07 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	05	01	01 (अस्थिबाधित)	00	07
योग :-		05	01	01	00	07

(22) - कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गुना

सामान्य :-

कार्यालय कलेक्टर, जिला-गुना के पत्र क्रमांक/134/स्था./6-2/बैक.केरी/2013 दिनांक 28.02.13 के अनुसार कलेक्टर, जिला-गुना के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 05 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	00	00	00	00	04
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	01	01 (श्रवणबाधित)	00	01	00	07
योग :-		07	02	01	00	01	00	11

(23) - कार्यालय, कलेक्टर, जिला-अलीराजपुर

सामान्य :-

कार्यालय कलेक्टर, जिला-अलीराजपुर के पत्र क्रमांक/1672/ दिनांक 09.05.2013 तथा पत्र क्रमांक/4832/ दिनांक 26.11.2012 के अनुसार कलेक्टर, जिला-अलीराजपुर के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 10 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स.	श्रेणी	निल	निःशक्तजन	योग
----	--------	-----	-----------	-----

क्रं.		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनु. जनजाति (ST)	09	00	01 (श्रवणबाधित)	00	10
योग :-		09	00	01	00	10

(24) – कार्यालय, कलेक्टर, मंदसौर

सामान्य :-

कार्यालय, कलेक्टर, मंदसौर के पत्र क्रमांक/414/वित्त-1/स्था./2013/ दिनांक 23.02.2013 के अनुसार कार्यालय, कलेक्टर, मंदसौर के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 01 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01 (दृष्टिबाधित)	00	01
योग :-		01	00	01

(25) – कार्यालय, कलेक्टर, होशंगाबाद

सामान्य :-

कार्यालय, कलेक्टर, होशंगाबाद के पत्र क्रमांक/9664/स्था./जिका/109/2013/दिनांक 28.05.2013 के अनुसार कार्यालय, कलेक्टर, होशंगाबाद के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 08 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02	00	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	02	06
योग :-		06	02	08

(26) – विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश राजाभोज अंतरराष्ट्रीय विमानतल, भोपाल

सामान्य :-

विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश राजाभोज अंतरराष्ट्रीय विमानतल, भोपाल के पत्र क्रमांक ई-2/17 दिनांक 06.01.2012 तथा पत्र क्रमांक ई-2/1212 दिनांक 31.08.2012 के अनुसार विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश राजाभोज अंतरराष्ट्रीय विमानतल, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 02 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	00	02
योग :-		02	00	02

(27) – मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल

सामान्य :-

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक फा.क्र./31/1/स्था./2002/3962 दिनांक 17.05.2012 तथा पत्र क्रमांक फा.क्र./31/1/स्था./2002/6975 दिनांक 22.08.2012 के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 01 पद की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्र.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	01
योग :-		01	00	01

(28) – संचालनालय राष्ट्रीय कैडेट कोर (राज्य कोष्ठ), भोपाल

सामान्य :-

संचालनालय राष्ट्रीय कैडेट कोर (राज्य कोष्ठ), भोपाल के पत्र क्रमांक 323/स्था-3/राज्य/एनसीसी दिनांक 08.05.2012 तथा पत्र क्रमांक 1604/स्था-3/राज्य/एनसीसी दिनांक 28.08.2012 के अनुसार संचालनालय राष्ट्रीय कैडेट कोर (राज्य कोष्ठ), भोपाल जिले के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 42 पद की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्र.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	08	04	01 (अस्थिबाधित)	00	01	00	14
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	10	05	01 (अस्थिबाधित)	00	02	00	18
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	06	03	00	00	01	00	10
योग :-		24	12	02	00	04	00	42

(29) – औद्योगिक न्यायालय, इन्दौर

सामान्य :-

कार्यालय औद्योगिक न्यायालय, इन्दौर के पत्र क्रमांक/2959/स्था./2012 दिनांक 28.07.2012 के अनुसार औद्योगिक न्यायालय, इन्दौर के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 10 पद की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्र.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	00	00	01
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	00	00	00	00	04
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	01 (अस्थिबाधित)	00	01	00	05
योग :-		06	02	01	00	01	00	10

(30) – आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. भोपाल

सामान्य :-

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था./न-क-46/2012/7153 दिनांक 31.10.2012 तथा पत्र क्रमांक/स्था./न-क-46/2013/1409 दिनांक 30.05.2013 के अनुसार आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 05 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	01
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	00	02
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	00	02
योग :-		05	00	05

(31) – संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, म.प्र. भोपाल

सामान्य :-

कार्यालय संचालनालय तकनीकी शिक्षा, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/03/स्था./जी/2013/613 दिनांक 07.05.2013 के अनुसार संचालनालय तकनीकी शिक्षा, म.प्र. भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 20 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	06 (03 पद दृष्टिबाधित) (02 पद श्रवणबाधित) (01 पद अस्थिबाधित)	01 (दृष्टिबाधित)	07
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	00	04 (02 पद अस्थिबाधित) (01 पद दृष्टिबाधित) (01 पद श्रवणबाधित)	00	06
3	अनु. जनजाति (ST)	00	00	05 (03 पद दृष्टिबाधित) (01 पद अस्थिबाधित) (01 पद श्रवणबाधित)	00	05
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	02 (02 पद दृष्टिबाधित)	00	02
योग :-		02	00	17	01	20

(32) – कार्यालय, हाथकरघा संचालनालय, म0प्र0 भोपाल

सामान्य :-

कार्यालय, हाथकरघा संचालनालय, म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था./3/2013/966 दिनांक 06.05.2013 के अनुसार कार्यालय, हाथकरघा संचालनालय, म0प्र0 भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 03 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	

1.	अनारक्षित (UR)	01 (श्रवणबाधित)	00	01
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01 (दृष्टिबाधित)	00	01
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01 (अस्थिबाधित)	00	01
योग :-		03	00	03

(33) – कार्यालय, लोकशिक्षण संचालनालय, म0प्र0 भोपाल

सामान्य :-

कार्यालय, लोकशिक्षण संचालनालय, म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था. /4/ए/20/2011/1207 दिनांक 01.06.2013 के अनुसार कार्यालय, लोकशिक्षण संचालनालय, म0प्र0 भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 111 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	32	14	46
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	46	19	65
योग :-		78	33	111

(34) – सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सामान्य :-

कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-16. 108/2013/1/7-1/स्था./दिनांक 24.05.2013 के अनुसार कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 21 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	02 (01 पद अस्थिबाधित) (01 पद दृष्टिबाधित)	00	00	00	03
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	06	04	04 (02 पद अस्थिबाधित) (02 पद दृष्टिबाधित)	00	02	00	16
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	02 (01 पद अस्थिबाधित) (01 पद दृष्टिबाधित)	00	00	00	02
योग :-		07	04	08	00	02	00	21

(35) – संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, म0प्र0 इंदौर

सामान्य :-

कार्यालय, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, म0प्र0 इंदौर के पत्र क्रमांक/स्था. /अवि/2013/3962/दिनांक 08.05.2013 के अनुसार कार्यालय, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, म0प्र0 इंदौर के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 07 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	04
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	03
योग :-		05	02	07

(36) – कार्यालय नगर पालिक निगम, रीवा

सामान्य :-

कार्यालय, नगर पालिका निगम, रीवा के पत्र क्रमांक/1840/नपानि/2013/दिनांक 28.05.2013 के अनुसार कार्यालय नगर पालिका निगम, रीवा के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 08 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	03
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	01	05
योग :-		06	02	08

(37) – कार्यालय कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा, म.प्र.

सामान्य :-

कार्यालय, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा, म.प्र. के पत्र क्रमांक/3/स्था./1/2013/717/दिनांक 11.02.2013 के अनुसार कार्यालय कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा, म.प्र. के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 03 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02	00	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	01
योग :-		03	00	03

(38) – म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल

सामान्य :-

म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था./4/12-13/7160 दिनांक 12.11.2012 तथा क्रमांक/स्था./4/28/13-14/2117 दिनांक 05.06.2013 के अनुसार म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 05 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स.	श्रेणी	निल	निःशक्तजन	योग
----	--------	-----	-----------	-----

क्रं.		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02	00	00	00	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	02	01 (दृष्टिबाधित)	00	03
योग :-		02	02	01	00	05

(39) – कार्यालय नगर पालिक निगम, सतना

सामान्य :-

कार्यालय नगर पालिक निगम, सतना के पत्र क्रमांक/123/स्था./नपनि/2013 दिनांक 24.05.2013 के अनुसार कार्यालय नगर पालिक निगम, सतना के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 03 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-
सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	01
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	02
योग :-		02	01	03

(40) – कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, म.प्र.

सामान्य :-

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, म.प्र.के पत्र क्रमांक/1149/स्था. 1/लिपि/2013 दिनांक 01.06.2013 तथा के पत्र क्रमांक/1166/स्था.-1/तक/2013 दि. 04.06.2013 के अनुसार कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, म.प्र.के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 18 पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-
सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	04	02	01 (अस्थिबाधित)	00	01	00	08
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	03	01 (अस्थिबाधित)	00	01	00	10
योग :-		09	05	02	00	02	00	18

(41) – मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल

सामान्य :-

मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल के पत्र क्रमांक/1378/स्था./47/2013-14 दिनांक 04.06.2013 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 02 पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-
सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	00	02
योग :-		02	00	02

(42) – संचालनालय, पशुपालन, म0प्र0, भोपाल

सामान्य :-

संचालनालय, पशुपालन, म०प्र०, भोपाल के पत्र क्रमांक/8140/स्था.ब./बैकलॉग/2013 दिनांक 05.06.2013 के अनुसार संचालनालय, पशुपालन, म०प्र०, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 14 पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जनजाति (ST)	09	04	01 (अस्थिबाधित)	00	14
योग :-		09	04	01	00	14

(43) – संचालनालय, कौशल विकास, म०प्र०, जबलपुर

सामान्य :-

संचालनालय, कौशल विकास, म०प्र०, जबलपुर के पत्र क्रमांक/कौविस/स्थाप-प्र/सामा-216/2013/3027 दिनांक 04.06.2013 के अनुसार संचालनालय, कौशल विकास, म०प्र०, जबलपुर के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 02 पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निःशक्तजन		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01 (श्रवणबाधित)	01 (दृष्टिबाधित)	02
योग :-		01	01	02

(44) – जेल मुख्यालय, भोपाल

सामान्य :-

कार्यालय जेल मुख्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 10736/सामान्य स्थापना/2013 दिनांक 19.06.2013 के अनुसार कार्यालय जेल मुख्यालय, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 03 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	01
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	01
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	01
योग :-		03	00	03

(45) – कार्यालय, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, म०प्र० भोपाल

सामान्य :-

कार्यालय, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, म०प्र० भोपाल के पत्र क्रमांक/3299/ दिनांक 07.06.2013 के अनुसार कार्यालय, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, म०प्र० भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती बैकलॉग के कुल 50 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	

1.	अनुसूचित जाति (SC)	13	07	01 (अस्थिबाधित)	00	02	00	23
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	14	08	02 (01 पद दृष्टिबाधित) (01 पद श्रवणबाधित)	00	03	00	27
योग :-		27	15	03	00	05	00	50

(46) – संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल

सामान्य :-

संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल के पत्र क्रमांक/1252/ दिनांक 20.05.2010 तथा पत्र क्रमांक/2065/ दिनांक 14.08.2012 के अनुसार संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 संविदा के कुल 100 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

संविदा के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	28	14	02 (02 पद अस्थिबाधित)	01 (श्रवणबाधित)	05	00	50
2.	अनुसूचित जाति (SC)	08	05	01 (श्रवणबाधित)	00	02	00	16
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	11	06	01 (अस्थिबाधित)	00	02	00	20
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	08	04	01 (श्रवणबाधित)	00	01	00	14
योग :-		55	29	05	01	10	00	100

(47) – संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र., भोपाल

सामान्य :-

संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/1908 दिनांक 13.02.2013 तथा पत्र क्रमांक/160 दिनांक 15.04.2013 के अनुसार संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 संविदा के कुल 118 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

संविदा के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	32	17	03 (03 पद अस्थिबाधित)	01 (श्रवणबाधित)	04	02	59
2.	अनुसूचित जाति (SC)	10	06	01 (श्रवणबाधित)	00	02	00	19
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	14	07	01 (अस्थिबाधित)	00	02	00	24
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	08	05	01 (श्रवणबाधित)	00	02	00	16
योग :-		64	35	06	01	10	02	118

-----0-----

अध्याय-2

विभागीय चयन नियम

2.1 परिभाषाएँ :-

- "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।
- "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- "अनुसूचित जन जाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक -एफ-8-5 पच्चीस-4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में।
- "भर्ती का वर्ष" से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।
- "भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है" ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक" (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की और-
 - (1) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी नियुक्त के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया है, या
 - (2) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अन्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः माह से अनधिक अवधि के लिये करनी पड़ी हो,
 - (3) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की पूर्ण करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो।
- "मंडल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।
- "विभाग" से अभिप्रेत है वह कार्यालय/विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। विभागों व रिक्त पदों का विवरण नियमपुस्तिका के अध्याय-1 में दिया गया है।

2.2 पद से संबंधित विवरण :

स0क0	पदनाम	वेतनमान
1.	सहायक ग्रेड-3 (सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती-बैकलॉग हेतु)	5200-20200 + 1900 ग्रेड पे
2.	सहायक ग्रेड-3 संविदा पद हेतु (संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल)	निश्चित वेतन {Consolidated Payment} रु. 10,721/- प्रतिमाह
3.	सहायक ग्रेड-3 संविदा पद हेतु (संचालनालय, पेशन भविष्य निधि एवं	निश्चित वेतन {Consolidated Payment} रु.

बीमा म0प्र0, भोपाल)	8,236 / – प्रतिमाह
---------------------	--------------------

2.2.1 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

- (1) हायर सेकेंडरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) प्रणाली में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- (2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- (3) मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के रिक्त पदों हेतु विभागीय भर्ती नियम 2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से हिन्दी तथा अग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- (4) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है :-
 - 1- Diploma from all Universities recognized by UGC.
 - 2- Diploma from all Open Universities recognized by UGC.
 - 3- Diploma level examination from DOEACC.
 - 4- Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.

नोट:-1. आवेदक के पास अर्हतायें एवं अनुभव आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हतायें एवं अनुभव अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

2. म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.1.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्र0796/982/2012/आ0प्र0/एक दिनांक 26.12.12 के पालन स्वरूप म0प्र0 के विशेष आदिम जनजाति समुदायो जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया के ऐसे अभ्यर्थी जो नियम पुस्तिका की कंडिका 2.2.1 में अंकित निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हैं, वे अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप (नियम पुस्तिका के प्रारूप-3) में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुए सीधे नियुक्ति संबंधी आगामी कार्यवाही हेतु अध्याय-5 में उल्लेखित पत्र व्यवहार के पते पर पृथक-पृथक संबंधित विभागों को प्रेषित करेंगे। परीक्षा की तिथि के पूर्व विभागों द्वारा उक्त आवेदनों का परीक्षण/नियुक्ति संबंधी कार्यवाही कर अनुसूचित जनजाति संवर्ग के संशोधित पदों की संख्या से मण्डल को अवगत कराया जाएगा जिसके संबंध में मण्डल द्वारा एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन भी जारी किया जाएगा यदि पदों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है। तदोपरान्त विभागों से प्राप्त अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों तथा अन्य श्रेणियों के पदों के लिए मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन से संबंधित आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के उपरान्त विशेष आदिम जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की ओर से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण/नियुक्ति संबंधी विभागीय कार्यवाही के उपरांत नियम पुस्तिका की कंडिका 1.2 में उल्लेखित अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी जो अन्य अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए बंधनकारी होगी। बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरांत शेष रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए म0प्र0 शासन के आरक्षण नियमानुसार परीक्षा परिणाम मण्डल द्वारा घोषित किया जाएगा।

2.3 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

(अ) सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु

आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी स्थाई मूल निवासी प्रमाण-पत्र नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

(ब) सीधी भर्ती एवं संविदा भर्ती के पदों हेतु

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :-

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या

- (ख) आवेदक को सिविकम की प्रजा होना चाहिये, या
 (ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या
 (घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :-

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के अध्यक्षीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बन जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण-पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।
 - (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।
 - (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।
 - (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।
2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यक्षीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।
- (II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/निल/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

2.4 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं. सी-18-15/91/3/1, दिनांक 03.02.1992 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2014 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र. सी-3-11/2012/3/एक दिनांक 20.11.2012 एवं परिपत्र क्रमांक 1930/2547/2012/1/3 दिनांक 26.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयुसीमा निम्नानुसार है :-

स.क्रं.	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
8.	म.प्र. के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्ष
9.	म.प्र. के भूतपूर्व सैनिक आवेदक(आरक्षित वर्ग- अनुसूचित	45 वर्ष

	जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	
10.	म.प्र. के विकलांग आवेदक (समस्त वर्ग)	45 वर्ष

2.4.1 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

- (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-40-आ-84-(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (ख) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (ग) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18-85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

2.4.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

- (क) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्त कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (ख) ऐसे उम्मीदवार, जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्त कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :-

शब्द "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- (ग) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्त कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :-

शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

- टीप— (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2.5 चयन का आधार :-

उक्त पद पर चयन हेतु मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जावेगी। मण्डल द्वारा साक्षात्कार/प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का (कुल 100 अंक) व दो घंटे की समयावधि का एक प्रश्न-पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा। प्रश्न-पत्र का पाठ्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :-

स.क्रं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1.	मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान	25
2.	सामान्य हिन्दी	25
3.	प्रारंभिक गणित	10
4.	कम्प्यूटर ज्ञान	40
कुल प्रश्न :-		100

2.6 प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची :-

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तकों तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दिए गए विभागों के प्राथमिकताक्रम विकल्प के आधार पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार/संवर्गवार पदों की संख्या के अनुसार मण्डल द्वारा प्रावीण्य व प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

2.7 पारस्परिक वरीयता :

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु यदि दो व्यक्तियों के प्राप्तंक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2.8 सत्यापन/परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण-पत्रों का विवरण :-

2.8.1 स्थाई निवासी प्रमाण-पत्र :-

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र धारक होना चाहिए।

2.8.2 जाति प्रमाण-पत्र :-

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।

2.8.3 विकलांग प्रमाण-पत्र :-

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी विकलांग संवर्ग के उम्मीदवार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।

2.8.4 भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र :-

भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के उम्मीदवार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।

2.9 दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों का परीक्षण व चरित्र सत्यापन :

लिखित परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची के आधार पर संबंधित विभागों द्वारा चयन/नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण संबंधित विभागों द्वारा किया जायेगा।

विभागों द्वारा चाहे गए समस्त प्रपत्र/दस्तावेज/प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप अनुसार अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति/सत्यापन/परीक्षण के समय संबंधित विभागों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

2.10 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हर्ताएँ/जानकारी :-

- (क) पररूपण धारण (इम्प्रेसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपण धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।
- (ख) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियों जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।
- (ग) ऐसा पुरुष उम्मीदवार जिसने 21 वर्ष की आयु के पूर्व तथा ऐसी महिला उम्मीदवार जिसने 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, लिखित परीक्षा के लिए अनर्ह माना जायेगा।

- (घ) जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।
- (ङ.) कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।
- (च) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।
- (छ) शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ न पाये जाने पर अनर्ह माना जायेगा।
- (ज) फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो।

2.11 नियुक्ति की शर्तें :

चयनित अभ्यर्थियों पर संबंधित विभाग के विभागीय नियम व नियुक्ति की शर्तें लागू होगी, जिनका उन्हें पालन करना होगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा नियुक्ति के समय विभागों के नियमानुसार अनुबंध-पत्र का निष्पादन किया जावेगा।

2.12 यात्रा भत्ता का भुगतान :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19.09.2002 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने पर विभागीय रिक्तियों के मान से आवेदकों की संख्या के अनुपात में संबंधित विभागों द्वारा यात्रा भत्ता का भुगतान स्वयं किया जायेगा।

2.13 न्याय क्षेत्र/अधिकार :-

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

2.14 संविदा के पदों हेतु दिशा निर्देश

2.14.1 सहायक ग्रेड-3 के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति कर्मचारी को संविदा अवधि में प्रतिमाह निश्चित वेतन (Consolidated Payment) संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल हेतु रु. 10,721/- प्रतिमाह एवं संचालनालय, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र., भोपाल रु. 8,236/- प्रतिमाह देय होगा। निश्चित वेतन पर अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।

2.14.2 इस संविदा को किसी भी पक्षकार (संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल एवं संचालनालय, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र., भोपाल अथवा संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थी) द्वारा एक माह की सूचना देकर अथवा एक माह का निश्चित वेतन का भुगतान करके अथवा उक्त वेतन जमा करके संविदा को समाप्त किया जा सकेगा।

2.14.3 संविदापर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी को संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल एवं संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र., भोपाल द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र में कार्य करना होगा।

- 2.14.4 संविदा की कार्यवधि एक वर्ष की होगी। उक्त अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति अभ्यर्थी की कार्यकुशलता के आधार पर आगामी अवधि को शासन के निर्देशानुसार एक-एक वर्ष के आधार पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
- 2.14.5 संविदा अवधि में, म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 तथा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 एवं इनके अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों/नियमों को पालन करना संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिये बंधनकारी होगा।
- 2.14.6 संविदा पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा शासकीय कार्य के प्रयोजन से की गई यात्राओं पर ग्रेड-‘सी’ के अनुसार यात्रा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- 2.14.7 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को एक वर्ष में 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिवस के ऐच्छिक अवकाश का पात्रता होगी। अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
- 2.14.8 संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश की पात्रता होगी।
- 2.14.9 संविदा पर नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थी उसकी अनुबंध अवधि के लिये किसी पेंशन संबंधी सुविधा या अन्य लाभ का हकदार नहीं होगा।
- 2.14.10 अभ्यर्थी को उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी बंधनकारी होगी जैसे कि नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हों। किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल एवं संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र., भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

-----0-----

अध्याय – 3

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
संयुक्त परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण निर्देश :-

- 3.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जायेंगे।
- 3.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रवेश/चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 3.3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-
- (1) वेबसाईट www.vyapam.nic.in अथवा www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
 - (2) मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 के सीधी भर्ती, सीधी भर्ती-बैकलॉग व संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा – 2013 ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को नकद निर्धारित शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ी जाति के लिए 500/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के लिए 250/- तथा सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है। इसके अतिरिक्त क्योस्क शुल्क रु. 50/- का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
 - (3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।
- 3.4 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।
- 3.5 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा। विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम. पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 3.6 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-
- (i) फोटोग्राफ 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. आकार का रंगीन, अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
 - (ii) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।

- (iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु, अंग्रेजी के कंपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।
- (vii) उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड की फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान तीनों की एक ही इमेज jpg फार्मेट में स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।

3.7 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

3.7.1 ऑनलाईन आवेदन 06.07.2013 से 04.08.2013 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

3.7.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :- (अ) इंटरनेट केफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने की विधि :

3.7.2.1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 के सीधी भर्ती, सीधी भर्ती-बैकलॉग व संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा - 2013 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/**Instructions** तथा परीक्षा नियम/**Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।

3.7.2.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान तीनों की एक इमेज तैयार करने हेतु **Link** के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान अंगूठे का निशान, फोटो चिपकाएं तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (**Attach**) करें।

3.7.2.3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

❖ क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग।

3.7.2.4 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा

सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

- 3.7.2.5 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-
आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।
- 3.7.3 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-
एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक द्वारा आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।
- 3.7.3.1 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

नोट:- ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. Online के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

- 3.8 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था :-
ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- 3.8.1 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- 3.8.2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रु.100/- एवं पोर्टल शुल्क रु. 50/- का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनुजाति/अनुजनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

3.8.3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

3.8.4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

3.9 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर नियमपुस्तिका में उल्लेखित निर्धारित मापदंड के अनुरूप न होने अथवा फोटो व हस्ताक्षर अनुपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र को निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र अमान्य होने की जानकारी प्रवेश-पत्र में मण्डल की वेबसाईट पर दी जायेगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा।

3.10 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे। प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश-पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.11 परीक्षा शहर :-

स.क्र.	शहर का नाम
1.	भोपाल
2.	ग्वालियर
3.	इन्दौर
4.	जबलपुर
5.	रीवा
6.	सागर
7.	उज्जैन

किसी परीक्षा शहर में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है। लिखित परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रातः 11:00 से दोप. 01:15 बजे तक आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश-पत्र पर अंकित होगी।

3.12 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र (इनमें से कोई एक-कक्षा 10 वी की फोटोयुक्त अंकसूची/आधार कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र/ड्राईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/पासपोर्ट/फोटोयुक्त बैंक पासबुक/विद्यालय या शासकीय संस्था का फोटोयुक्त पहचान-पत्र) लेकर आना अनिवार्य होगा (जिसकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं आवेदक का होगा), जिसके अभाव में आवेदक को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।

3.13 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses आदि पूर्णतः वर्जित है।

3.14 परीक्षा का प्रश्न-पत्र :-

लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों (प्रत्येक प्रश्न एक अंक का) व दो घंटे की अवधि का एक प्रश्न-पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

3.15 अनुचित साधन (Unfair Means, UFM) :-

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

- (क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- (ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- (ङ.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- (च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।
- (छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- (ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- (झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- (ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के

अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

3.16 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3.17 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, प्रश्नों का निरस्तीकरण एवं बदले में प्रदान किये जाने वाले अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
 2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
 3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
 4. कोई भी विकल्प सही न हो।
 5. यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
 6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
 7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
- प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 81 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{81 \times 100}{(100 - 2)} = 82.65 = \text{Round Off } 83$$

नोट :- सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

3.18 प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन :-

प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप-1 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

3.19 मॉडल आंसर्स के संबंध में अभ्यावेदन/फायनल आंसर्स :-

- (1) मॉडल आंसर्स :- परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप-2 (मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में

आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

- (2) फायनल आंसर्स :- प्रारूप 01 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 02 में मंडल द्वारा प्रदर्शित माडल उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को "की" समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। "की" समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों से संबंधित प्रश्नों/उत्तरों के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 3.17 अनुसार "की" समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगे। "की" समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

3.20 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

अध्याय-1, 2 एवं 3 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (Subject wise Model Answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

3.21 अंक सूची की उपलब्धता :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर उल्लेखित वेबसाईट से अंकसूची प्राप्त/मुद्रित कर सकते हैं। मण्डल द्वारा डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा तथा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

3.22 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट

(स) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्त :-

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(द) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

3.23 मण्डल का क्षेत्राधिकार :-

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

3.24 अभिलेखों का संधारण :-

मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन उपरांत अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह तक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। इसके पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों को रद्दी घोषित व नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.25 न्यायिक क्षेत्राधिकार :-

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

---0---

अध्याय – 4

लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

भाग – 1 : मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान – पूर्णांक-25

मध्यप्रदेश की सामान्य प्रमुख जानकारियों, प्रमुख अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख सिंचाई योजनायें, पर्यटन (दुर्ग व किले, प्रमुख महल, पौराणिक दर्शनीय एवं प्राकृतिक स्थल, गुफायें, समाधि व मकबरे इत्यादि), मध्यप्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व (राजनीतिक, खिलाड़ी, कलाकार, प्रशासन, लेखक, साहित्यकार, समाजसेवी इत्यादि)।

भाग – 2 : सामान्य हिन्दी – पूर्णांक-25

वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शुद्ध रूप, शब्दों के स्त्री लिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा व उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विपरीतार्थक (विलोमार्थक) शब्द, समानार्थक या पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें एवं लोकोक्तियों के अर्थ, संधि व संधि विच्छेद, क्रिया से भाव वाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता इत्यादि।

भाग – 3 : प्रारंभिक गणित – पूर्णांक-10

प्रारंभिक गणित – गुणा, भाग, दशमलव अंक, भिन्न (फ्रैक्शन), प्रतिशत, मूलधन, ब्याज, लाभ-हानि, क्षेत्रफल, आयतन आदि के सम्मिलित प्रश्न।

भाग – 4 : कम्प्यूटर ज्ञान – पूर्णांक-40

Operating System Windows 2003-2007, Windows XP, Microsoft Office 2003-2007, Processor & Memory, Database Management System, Computer Languages, Introduction to Internet & Internet Working.

अध्याय – 5

सहायक ग्रेड-3 के विभागवार पत्र व्यवहार की सूची

भर्ती का प्रकार- सीधी भर्ती	
1	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत ग्रामीण यात्रिकी सेवा भोपाल
2	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल
3	संचालनालय, आयुष, म0प्र0 भोपाल
4	संचालनालय खेल और युवा कल्याण म.प्र. भोपाल
5	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल
6	कार्यालय, आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश, भोपाल
7	उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश (रोजगार प्रभाग), विध्याचल भवन, भोपाल
8	कार्यालय कलेक्टर-नीमच
9	विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
10	मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता), सा.प्र.वि., भोपाल
11	आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबन्धकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल
12	कार्यालय, म.प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल
13	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
14	कार्यालय कलेक्टर-इन्दौर
15	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल
16	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल
17	कार्यालय कलेक्टर-उमरिया
भर्ती का प्रकार- सीधी भर्ती बैकलाग	
18	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत ग्रामीण यात्रिकी सेवा भोपाल
19	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल
20	संचालनालय, आयुष, म0प्र0 भोपाल
21	संचालनालय खेल और युवा कल्याण म.प्र. भोपाल
22	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल
23	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल

		0755-2551650(ऑफिस) , 2443930 (निवास)
24	कार्यालय कलेक्टर-शाजापुर	कार्यालय,कलेक्टर-जिला-शाजापुर,दूरभाष-07364-226500(ऑफिस) फ़ैक्स नं. 227378
25	कार्यालय कलेक्टर-झाबुआ	कार्यालय कलेक्टर, जिला-झाबुआ दूरभाष-07392-243401(ऑफिस), 243402 (निवास)
26	कार्यालय कलेक्टर-मुरैना	कार्यालय कलेक्टर, जिला-मुरैना 07532-223500(ऑफिस), 223400 (निवास)
27	कार्यालय कलेक्टर-गुना	कार्यालय कलेक्टर, जिला-गुना, दूरभाष-07542-255626(ऑफिस) , 255727 (निवास)
28	कार्यालय कलेक्टर-अलीराजपुर	कार्यालय कलेक्टर, जिला-अलीराजपुर (म.प्र.) दूरभाष-07394-234400 (कार्या.) 234500 (निवास) फ़ैक्स- 234222
29	कार्यालय कलेक्टर-मंदसौर	कार्यालय कलेक्टर, जिला-मंदसौर दूरभाष-07422-235260(ऑफिस) , 244250 (निवास)
30	कार्यालय कलेक्टर, होशंगाबाद	श्री प्रकाश रेवाल, अपर कलेक्टर, कलेक्टर कार्यालय, जिला-होशंगाबाद, दूरभाष-07574-252145, मो.नं.-9425494698
31	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल 0755-2774450
32	विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश राजाभोज अंतराष्ट्रीय विमानतल भोपाल	विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश राजाभोज अंतराष्ट्रीय विमानतल भोपाल.-462030
33	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल	श्री एस0एस0 बंसल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश 17, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष- 2550446, फ़ैक्स- 2555162
34	संचालनालय राष्ट्रीय कैडेट कोर (राज्य कोष्ठ), भोपाल	ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल दूरभाष-0755-2465945
35	औद्योगिक न्यायालय, इंदौर	श्री राजेश पंड्या, रजिष्ट्रार, कार्यालय, औद्योगिक न्यायालय मध्यप्रदेश, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर 0731-2542872 2531520
36	आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. भोपाल	श्री एस.एन. दुबे, सहायक अनुसंधान अधिकारी, कार्यालय, आयुक्त अनुसूचित जाति विकास, 35 राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, म. प्र. भोपाल 0755-2661876, 9827280486
37	संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, म.प्र. भोपाल	श्री अरुण नाहर, संचालक, संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004, 0755-2576751, 9425172465 फ़ैक्स- 2552219
38	कार्यालय हाथ करघा संचालनालय, म.प्र. भोपाल	हाथकरघा संचालनालय, म.प्र., माध्यमिक शिक्षा परिसर, द्वितीय तल शिवाजी नगर, भोपाल
39	कार्यालय, लोकशिक्षण संचालनालय, म0प्र0 भोपाल	गौतम नगर, भोपाल दूरभाष- 0755-2583650 फ़ैक्स-2583651
40	सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल	श्रीमती उषा परमार, उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल 0755-2512533
41	संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, म0प्र0 इंदौर	संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, नन्दा नगर, इंदौर म0प्र0 इंदौर
42	कार्यालय, नगर पालिक निगम, रीवा	श्री बी.के. सिंह परिहार, लखाधिकारी, नगर पालिक निगम, रीवा
43	कार्यालय, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा	कार्यालय, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा 07662-241766(ऑफिस) 241888 (निवास)
44	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल	श्री पी0के0 दीक्षित, उपसंचालक, 74-अरेरा हिल्स, भोपाल 0755-2552759, 9993164056 फ़ैक्स- 2553246
45	कार्यालय नगर पालिक निगम, सतना	श्री एस.डी. पाण्डे, निगम सचिव, कार्यालय नगर पालिक निगम सतना 07672-228818, 9425812923 फ़ैक्स-224799
46	कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर,	कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर 0751-2441200
47	मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल	न्यू ब्रायलर भवन, मेन रोड नंबर 03, कोटरा सुल्ताना बाद रोड भोपाल दूरभाष-0755-2776086
48	संचालनालय, पशुपालन, भोपाल	डॉ0 अरुण कुमार शर्मा, उप संचालक, संचालनालय, पशुपालन भोपाल मोबाईल नंबर-9407295775
49	संचालनालय, कौशल विकास, जबलपुर	कौशल विकास संचालनालय, साई मंदिर के सामने, नर्मदा रोड जबलपुर श्री डी0एस0 ठाकूर, संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, सतपुड़ा

		भवन, प्रथम तल, भोपाल दूरभाष-0755-2571303, 9425077630
50	जेल मुख्यालय, भोपाल	डॉ. सुहेल अहमद, जेल उप महानिरीक्षक, जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2573510
भर्ती का प्रकार- संविदा		
51	संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल	“बी-1, राज्य वित्त आयोग भवन”, गोमन्तिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल दूरभाष- 0755-2552474 फैक्स-2770394
52	संचालनालय, पेशन भविष्य निधि एवं बीमा म0प्र0, भोपाल	श्री वरुण वर्मा, संचालक, 26 किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल मोबाईल नं.-9827270072 दूरभाष नं.-0755-2676032

प्रारूप-1
(देखें नियम 3.18)

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....

स्थान
दिनांक

प्रारूप-2
(देखें नियम 3.19)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक

प्रारूप-3

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ संलग्न करे

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. माता का नाम :-
4. लिंग (पुरुष/महिला) :-
5. जन्मतिथि :-
6. मोबाईल/फोन नं :-
6. आदिम जनजाति का नाम :-
7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :-
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-
9. कार्यअनुभव का विवरण :-
10. विशेष/अन्य विवरण :-
11. आवेदन करने वाले विभाग/कार्यालयो/सार्वजनिक उपक्रम का नाम :-

12. पद का प्रकार (सीधी भर्ती/सीधी भर्ती-बैकलॉग/संविदा) :- (1)
- (2)
- (3)

दिनांक

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर, नाम व पता :-

.....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र:-

1. कक्षा दसवी की अंकसूची
2. कक्षा बारहवी की अंकसूची
3. नियम पुस्तिका की कण्डिका 2.2 में उल्लेखित पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र
4. मध्यप्रदेश का मूलनिवासी प्रमाण पत्र
5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
6. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक होतो)
7. भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक होतो)

एकीकृत सहमति प्रमाण-पत्र

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 के सीधी भर्ती, सीधी भर्ती-बैकलॉग व संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा - 2013 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है ।

अध्याय-1, 2, 3 व 4 में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा ।

नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा ।

तदनुसार यह सहमति प्रमाण-पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है ।

स. क्र	विभाग का नाम	सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम तथा पदनाम	सील	दिनांक	हस्ताक्षर
भर्ती का प्रकार- सीधी भर्ती					
1	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल				
2	कार्यालय, आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश, भोपाल				
3	उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश (रोजगार प्रभाग), विध्याचल भवन, भोपाल				
4	कार्यालय कलेक्टर-नीमच				
5	कार्यालय कलेक्टर-सागर				

स. क्र	विभाग का नाम	सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम तथा पदनाम	सील	दिनांक	हस्ताक्षर
भर्ती का प्रकार- सीधी भर्ती					
6	कार्यालय कलेक्टर, हरदा				
7	विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल				
8	म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर				
9	मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद, भोपाल				
10	मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता), सा.प्र.वि., भोपाल				
11	आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबन्धकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल				
12	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर				
13	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल				
14	कार्यालय, म.प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल				

स. क्र	विभाग का नाम	सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम तथा पदनाम	सील	दिनांक	हस्ताक्षर
भर्ती का प्रकार- सीधी भर्ती					
15	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर				
16	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल				
17	संचालनालय, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल				
18	संचालनालय, आयुष, म0प्र0 भोपाल				
19	संचालनालय खेल और युवा कल्याण म.प्र. भोपाल				
20	कार्यालय कलेक्टर-इन्दौर				

सहमति प्रमाण-पत्र

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 के सीधी भर्ती, सीधी भर्ती-बैकलॉग व संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा - 2013 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है ।

अध्याय-1, 2, 3 व 4 में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा ।

नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा ।

तदनुसार यह सहमति प्रमाण-पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है ।

स. क्र	विभाग का नाम	सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम तथा पदनाम	सील	दिनांक	हस्ताक्षर
भर्ती का प्रकार- सीधी भर्ती बैकलाग					
21	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल				
22	कार्यालय कलेक्टर-शाजापुर				
23	कार्यालय कलेक्टर-झाबुआ				
24	कार्यालय कलेक्टर-मुरैना				
25	कार्यालय, कलेक्टर जिला-अशोकनगर (म0प्र0)				

स. क्र	विभाग का नाम	सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम तथा पदनाम	सील	दिनांक	हस्ताक्षर
भर्ती का प्रकार- सीधी भर्ती बैकलाग					
26	कार्यालय कलेक्टर, जिला-दतिया				
27	कार्यालय कलेक्टर-विदिशा				
28	कार्यालय कलेक्टर-गुना				
29	कार्यालय कलेक्टर-अलीराजपुर				
30	कार्यालय कलेक्टर-मंदसौर				
31	कार्यालय कलेक्टर-उमरिया				
32	कार्यालय कलेक्टर, होशंगाबाद				
33	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल				
34	विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश राजाभोज अंतराष्ट्रीय विमानतल, भोपाल				

स. क	विभाग का नाम	सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम तथा पदनाम	सील	दिनांक	हस्ताक्षर
भर्ती का प्रकार- सीधी भर्ती बैकलाग					
35	पर्यावरण तथा समन्वयन संगठन (एफको), भोपाल				
36	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल				
37	संचालनालय राष्ट्रीय कैडेट कोर (राज्य कोष्ठ), भोपाल				
38	औद्योगिक न्यायालय, इंदौर				
39	आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. भोपाल				
40	संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, म.प्र. भोपाल				
41	कार्यालय, म0प्र0 शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल				
42	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल				
43	कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, म.प्र. भोपाल				

स. क्र	विभाग का नाम	सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम तथा पदनाम	सील	दिनांक	हस्ताक्षर
भर्ती का प्रकार- सीधी भर्ती बैकलाग					
44	कार्यालय हाथ करघा संचालनालय, म.प्र. भोपाल				
45	कार्यालय, लोकशिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल				
46	सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल				
47	संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, म0प्र0 इंदौर				
48	नगर पालिक निगम, रीवा				
49	कार्यालय, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा				
50	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल				
51	कार्यालय नगर पालिक निगम, सतना				
52	कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर				

स. क्र	विभाग का नाम	सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम तथा पदनाम	सील	दिनांक	हस्ताक्षर
भर्ती का प्रकार- सीधी भर्ती बैकलाग					
53	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल				
54	मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल				
55	कार्यालय, उप संचालक, सामाजिक न्याय, जिला-खण्डवा				
56	संचालनालय, पशुपालन, म०प्र०, भोपाल				
57	म.प्र. शासन श्रम विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल				
58	संचालनालय, कौशल विकास, म०प्र०, जबलपुर				
59	संचालनालय, उच्च शिक्षा, भोपाल				
60	संचालनालय, आयुष, म०प्र० भोपाल				
61	संचालनालय खेल और युवा कल्याण म.प्र. भोपाल				

62	कार्यालय कलेक्टर-बडवानी				
----	-------------------------	--	--	--	--

सहमति प्रमाण-पत्र

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 के सीधी भर्ती, सीधी भर्ती-बैकलॉग व संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा – 2013 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है ।

अध्याय-1, 2, 3 व 4 में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा ।

नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा ।

तदनुसार यह सहमति प्रमाण-पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है ।

स. क्र	विभाग का नाम	सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम तथा पदनाम	सील	दिनांक	हस्ताक्षर
भर्ती का प्रकार- संविदा					
63	संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल				
64	संचालनालय, पेशन भविष्य निधि एवं बीमा म0प्र0				